न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
04/2010	8.01.2010	12.8.2025

1. मिश्री पत्नि रामचरण, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
2. पप्पू उर्फ धर्मपाल पुत्र रामचरण, मीना निवासी डिवस्या तह0 गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

राजाराम पुत्र कज्जू, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी

——प्रतिवादी

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री बृजनन्दन दीक्षित, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री जुगलकिशोर गर्ग, एडवोकेट, प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 1498 रकबा 21 एयर, ख0नं0 1700 रकबा 30 एयर ग्राम डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है। प्रतिवादी वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन लठ्ठ के बल पर कब्जा करना चाहता है। इसी गलत उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिवादी ने वादीगण के खेत ख0नं0 1700 रकबा 30 एयर ग्राम डिवस्या पर बाउण्ड्री के लिए पत्थर डालना शुरू कर दिया । वादी नं.0 2 दिनांक 16.11.09 को अपनी बहन से मिलने पढाना गया हुआ था और वहां से वापिस दिनांक 19.11.09 को वापिस आया और खेत पर गया तो देखा कि प्रतिवादी ने जे0सी0बी0 मशीन से दिनांक 18.11.09 को रात्रि में नींव खुदवा दी और मजदूरों से दिनांक 19.11.09 को नींव भरने का कार्य कर रहे थे। इस पर वादी नम्बर 2 ने प्रतिवादी से नींव भरने से मना किया तो प्रतिवादी वादी नम्बर 2 को जान से मारने पर आमादा हो गया। तब वादी नम्बर 2 ने उक्त दिनांक को ही थाना वजीरपुर में उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिस पर पुलिस थाना वजीरपुर ने आकर मौके पर जा[illegible]र्माण कार्य बन्द कराया। इसके उपरान्त भी प्रतिवादी ने ए[illegible] वादीगण के खेत पर जबरन कब्जा कर वादीगण को भूमि से [illegible]खल कर देगा। [illegible] कारण यह दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अ[illegible] दावा प्रस्तुत कर [illegible]न है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 1700 रकबा 30 एयर, ख0नं0 1498 रकबा 21 एयर कुल रकबा 51 एयर ग्राम डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी में वादीगण के उपयोग उपभोग व प्रयोग में किसी प्रकार की नाना मजाहमत न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे तथा किसी प्रकार की कोई निर्माण नहीं करे एवं भूमि ख0नं0 1700 रकबा 30 एयर भूमि में की गई बाउण्ड्री को विशेष हर्जे के तौर पर वादीगण की मानी जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि उक्त भूमि प्रतिवादी राजाराम एवं हजारी पुत्र गुलाब की खातेदारी व कब्जे की भूमि है। विवादित भूमि में जो बाउण्ड्री बनी हुई है वह 20–25 साल पुरानी है जिसे प्रतिवादी हजारी ने बनवाई थी। सन् 2009 में कोई निर्माण नहीं किया है। जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि ख0नं0 1498 रकबा 21 एयर, ख0नं0 1700 रकबा 30 एयर ग्राम डिवस्या की भूमि पहले सिवायचक थी। इस भूमि के पास ही पक्षकारों एवं उनके परिवारजनों की खातेदारी भूमि स्थित है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी राजाराम, वादिया मिश्री एवं हजारी एवं केलाशी का कब्जा चला आ रहा था और ये लोग ही संयुक्त काश्त कर रहे थे। भूमि का आवंटन इन सभी के नाम नहीं हो सकता था इस कारण वादी व प्रतिवादी हजारी व घर्मपाल ने यह तय किया कि इस भूमि को मिश्री देवी एवं पप्पू के नाम आवंटित करवा ली जावे एवं कब्जा विवादित भूमि पर 1/4 मिश्री देवी का, 1/4 राजाराम का, 1/4 हजारी का व 1/4 धर्मपाल का रहेगा। इस सहमति के बाद भूमि मिश्रीदेवी व पप्पू के नाम आवंटित करवा ली गई। कब्जा भूमि पर चारो का चला आ रहा है। इस प्रकार भूमि में प्रतिवादी का 1/4 हिस्सा कोटीनेन्ट के रूप में रहा है। पप्पू रामचरण का पुत्र है और धर्मपाल भी रामचरण का पुत्र है। पक्षकारों ने इस विवादित भूमि एवं उनके सहखातेदारी की अन्य भूमि का आपसी सरस व नरस तरीके से बंटवारा कर लिया व बंटवारे के अनुसार ख0नं0 1498 व 1700 प्रतिवादी राजाराम व हजारी के हिस्से [illegible] भूमि में इस प्रकार प्रतिवादी 2/4 हिस्से का कोटीनेन्ट हो गया। उक्त [illegible]यात में राजाराम व हजारी ने 30 वर्ष पूर्व ही पुख्ता बाउण्ड्री का निर्माण [illegible] लिया। वादिया एवं उसके परिवारजन विवादित भूमि को [illegible] को बेचने पर आमादा है एवं प्रतिवादी को बेदखल करने पर उतारू हो ग[illegible]ब प्रतिवादी ने वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0)
सत्यमेव जयते

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

विरूद्ध अदालत हाजा में घोषणां खातेदारी का दावा प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा0पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 3.3.2010 को स्वीकार होकर वादिया के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो गई जो अब भी जारी है। विवादित भूमि के बारे में जब पहले से ही घोषणां खातेदारी का मुकदमा चल रहा है तो ऐसी सूरत में विवादित भूमि का दावा धारा 10 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत चलने योग्य नहीं है । विवादित भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा नही है। भूमि की कीमत काफी बढ गई है। इस कारण वादीगण के मन मे बेईमानी आ गई है और वो अपने हक मे चले आ रहे इन्द्राज के आधार पर भूमि को नाजायज तरीके से बेचकर प्रतिवादी को बेदखल करना चाहते है। अतः जबाबदावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावें।

दावा एवं जबाबदावा के आधार पर वाद मे तनकी कायम की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2066 से 2069 प्रदर्श–1, प्रदर्श–2 प्रस्तुत की है एवं बयान वादी मिश्री देवी पी0डब्लू0 1, बयान वादी पप्पू पीडब्ल्यू 2 कराये हैं।

प्रतिवादी ने अपने जबाब के समर्थन मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है एवं बयान प्रतिवादी राजाराम डी0डब्लू. 1 कराए हैं।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का दावा खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी मे दर्ज है। जो नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 से विदित है। प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि मे अपना 1/4 हिस्सा होना तथा हजारी का 1/4 हिस्सा होना बताया है एवं अपने जबाब दावे मे प्रतिवादी ने जिन तथ्यों का उल्लेख किया है। उनको प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति मे प्रतिवादी के कथन मात्र से प्रतिवादी के कथन को सत्य नही माना जा सकता है। दूसरी ओर वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी मे दर्ज है इसलिए कब्जा भी वादीगण का ही माना जावेगा। फलस्वरूप वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:46:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0) सत्यमेव जयते

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह भूमि ख0न0 1498 रकबा 21 एयर एवं ख0न0 1700 रकबा 30 एयर कुल रकबा 51 एयर ग्राम डिबस्या तहसील गंगापुर सिटी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे वादीगण को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे एवं उपरोक्त भूमि मे कोई निर्माण कार्य भी नही करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:52 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)

Judi/Civil

Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. मिश्री पत्नि रामचरण, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
2. पप्पू उर्फ धर्मपाल पुत्र रामचरण, मीना निवासी डिवस्या तह0 गंगापुर सिटी

––वादीगण

बनाम

राजाराम पुत्र कज्जू, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी––प्रतिवादी

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –35/2005

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री बृजनंदन दीक्षित, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह भूमि ख0न0 1498 रकबा 21 एयर एवं ख0न0 1700 रकबा 30 एयर कुल रकबा 51 एयर ग्राम डिबस्या तहसील गंगापुर सिटी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे वादीगण को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे एवं उपरोक्त भूमि मे कोई निर्माण कार्य भी नही करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.8.2025 को किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:52 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0) सत्यमेव जयते

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:52 IST
Reason: SelfAttested